कार्यालय नगर परिषद्, गढ़वा

पत्रांक ....714.2....

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, गढ़वा।

सेवा में,

निदेशक
सरयु बाबू इंजीनियर्स
इंडिया प्राइभेट लिमिटेड

गढ़वा, दिनांक...19.06.2...

विषय :– सोनपुरवा स्थित खाता सं0–40, प्लौट सं0–163 पर निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)Vertical III के आवास के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक JH/SBENG/270/20 दिनांक 10.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि WP(C) No 6030/2019 दिनांक 02.12.2019 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में याचिका कर्ता उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी गढ़वा के न्यायालय में नये सिरे से आवेदन देकर मामला की सुनवाई हेतु कहा गया तथा वाद के निस्तार तक ग्राम सोनपुरवा के खाता संख्या 40, प्लौट सं 163 Status Quo बनाए रखने का निदेश प्राप्त हुआ था।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी गढ़वा के न्यायालय में चल रहे वाद सं0 11/2019–20 अजिमुल हक अंसारी एवं अन्य बनाम राज्य वाद में पारित आदेश दिनांक 06.06.2020 में उक्त भूमि पर आवेदकगण का दावा खारिज किया जा चुका है।

अतः सोनपुरवा स्थित खाता सं0–40, प्लौट सं0–163 पर निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)Vertical III के आवास निर्माण कार्य पुनः 07 (सात) दिनों के अंदर प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। इस भूमि का मापी एवं नक्शा अंचलाधिकारी द्वारा 21.06.2017 को ही निर्गत किया गया था जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

विश्वासभाजन

17.6.2020

अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, गढ़वा।

17/06/2020

अनुलग्नक :– 1. न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा विविध वाद सं0 11/2019–20 अजिमुल हक अंसारी एवं अन्य बनाम राज्य में पारित आदेश की छाया प्रति।
2. अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा खाता सं0 40 एवं प्लौट 163 का नक्शा की छाया प्रति।

मशहूर ग्राम सोनपुरवा
था॰ गढ़वा नं॰ 282
जिला गढ़वा
पैमाना 1 मील=16"

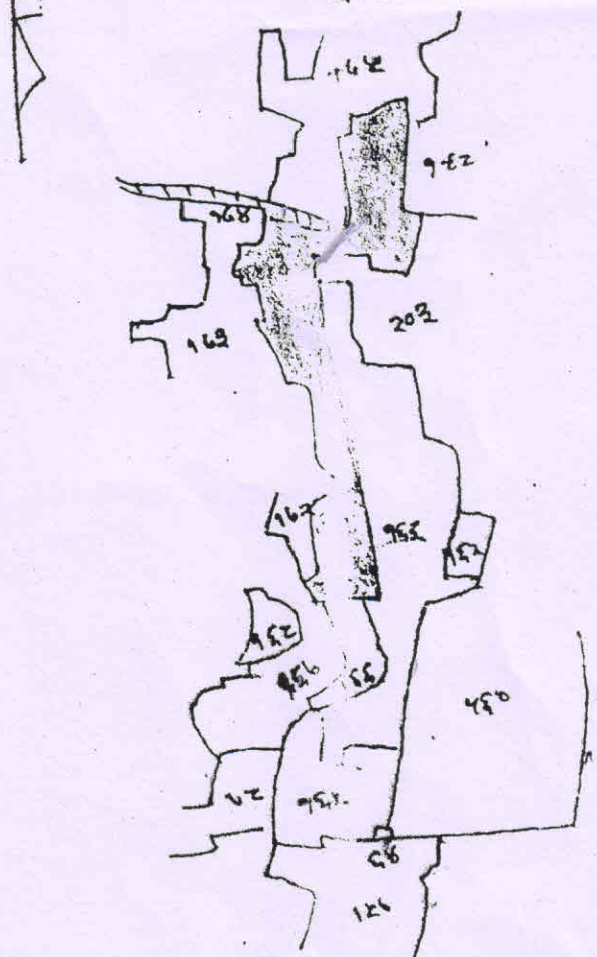

नोट:- उपरोक्त नक्शे में अंकित हरा खाता 40 खसरा 163 [illegible]
प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित किया जाता है।

21.06.17 निरीक्षण [illegible]
Kc Amin C.I
प्रस्ताव 21/6/17 [illegible]
C.O
[illegible]

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
06.06.2020	न्यायालय उपायुक्त –सह– जिला दंडाधिकारी, गढ़वा विविध वाद सं0–11/2019–2020 अजिमूल हक अंसारी एवं अन्य बनाम् राज्य आदेश यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा W.P.(C)No. 6030/19 में दिनांक–02.12.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री राहुल कुमार दास, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा अजिमूल हक अंसारी वल्द स्व0 अमरूला मियां एवं अन्य सभी ग्राम–सोनपुरवा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा की ओर से दिया गया आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा W.P.(C) No. 6030/19 में दिनांक–02.12.2019 को पारित आदेश में निहित निदेश के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए आवेदकगण को सूचना निर्गत किया गया एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गढ़वा, अंचल अधिकारी, गढ़वा एवं अपर समाहर्त्ता, गढ़वा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। श्री राहुल कुमार दास, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा वाद के आवेदकगण अजिमूल हक अंसारी एवं अन्य की ओर से दायर आवेदन में कहना है कि ग्राम–सोनपुरवा, थाना–गढ़वा के खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 रकवा 4.68 एकड़ भूमि हाल सर्वे में साम्मिलात मालिकान गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। रिभिजनल सर्वे के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात खाता संख्या–40 प्लॉट सं0–163 का कुल रकवा 4.68 एकड़ में से 2.25 एकड़ भूमि अन्य भूमि के साथ वर्ष 1945 में भूतपूर्व जमीन्दार से कुर्बान मियां की पत्नी मौली बीबी को बंदोबस्ती में प्राप्त हुआ एवं उसी खाता सं0–40 प्लॉट संख्या–163 का रकबा 2.25 एकड़ भूमि अलिम मियां की पत्नी बतुलन बीबी को बंदोबस्ती में प्राप्त है। बंदोबस्ती के पश्चात से ही बंदोबस्तधारी उक्त भूमि पर दखल कब्जा में आये एवं जमीन्दार को लगान भुगतान करने लगे। बाद में बतुलन बीबी द्वारा निबंधित केवाला संख्या–1404 से दिनांक–07.05.1949 को ग्राम–सोनपुरवा के खाता सं0–40 प्लॉट सं0–163 का कुल रकवा 4.68 एकड़ में से 2.25 एकड़ भूमि कुर्बान मियां के साथ अन्तरित कर दिया गया। उक्त भूमि प्राप्त करने के पश्चात कुर्बान मियां ग्राम–सोनपुरवा के खाता सं0–40 प्लॉट सं0–163 का कुल रकवा 4.68 एकड़ में से 4.50	

एकड भूमि पर खेती करने लगे। जमीन्दारी उन्मूलन : पश्चात बुझारत में उक्त भूमि
कुर्बान मियां का शान्तिपूर्ण दखल पाते हुए भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा दाखिल रिटर्न का सत्यापन कर सक्षम पदाधिकारी द्वारा मांग पंजी II में कुर्बान मियां का नाम दर्ज किया गया एवं तब से कुर्बान मियां द्वारा अपने जीवनकाल तक सरकारी सिरिस्ते में लगान भुगतान किया जाता रहा। बाद में कुर्बान मियां के उत्तराधिकारी जो वाद में आवेदक हैं, द्वारा लगान का भुगतान किया जाने लगा। आवेदकगण कुर्बान मियां के उत्तराधिकारी है जो कुर्बान मियां के मृत्यु के बाद से प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व एवं दखल कब्जा में है।

आवेदन में आगे उनका यह भी कथन है कि आवेदकगण को समाचार पत्र से इस आशय की जानकारी हुई कि ग्राम–सोनपुरवा के खाता सं0–40 प्लॉट सं0–99 एवं 103 की भूमि पर नगर परिषद, गढ़वा की ओर से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 400 गृह विहीन व्यक्तियों के लिए आवास का निर्माण कराया जाना है, जिसमें आवेदकगण का ग्राम–सोनपुरवा के खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 रकवा 4.50 एकड़ भूमि सन्निहित है। उक्त जानकारी प्राप्त होने के बाद आवेदकगण संबंधित सक्षम पदाधिकारी के पास आवेदन दिए, पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आवेदकगण रिभिजनल सर्वे अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद वर्ष 1945 से ही प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व वो दखल कब्जा में है एवं राज्य के चिन्हित रैयत हैं ।

न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध आवेदकगण की ओर से तथ्य कथन दाखिल किया गया, जिसमें उनका कथन है कि आवेदकों के विरूद्ध निर्गत नोटिस तथ्य एवं विधि दोनों ही दृष्टिकोण से गलत है। ग्राम–सोनपुरवा के खाता संख्या–40 प्लॉट सं0–163 की भूमि आवेदकगण की मौरूसी सम्पति है, जिसपर उनके पूर्वजों का 74 वर्षों से भी अधिक समय से शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है। ग्राम–सोनपुरवा के खाता संख्या–40 प्लॉट सं0–163 रकवा 4.68 एकड़ पुराना सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक सामिलात मालिकान दर्ज है। कालान्तर में उक्त भूमि में से तत्कालीन जमीन्दार केदारनाथ सिंह द्वारा वर्ष 1945 में 2.25 एकड़ कुर्बान मियां की पत्नी मौली बीबी एवं बाद में अपने हिस्से का शेष 2.25 एकड़ भूमि बतुलन बीबी जौजे अलीम मियां के पक्ष में बंदोबस्ती पट्टा के माध्यम से बंदोबस्त किया गया तथा बंदोबस्ती के समय से उक्त भूमि पर दखल कब्जा में रहते हुए तत्कालीन जमीन्दार को मालगुजारी अदा करते रहे। कलान्तर में बतुलन बीबी जौजे अलीम मियां अपना बंदोबस्ती में प्राप्त खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 का 2.25 एकड़ भूमि निबंधित विक्रय पत्र संख्या–1404 दिनांक–07.05.1949 के माध्यम से शेख कुर्बान मियां वल्द मल्लू मियां के हाथ बिक्री कर दिये एवं तब से 4.50 एकड़ भूमि पर कुर्बान मियां का दखल कब्जा कायम हो गया एवं विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुकूल कुर्बान मियां पिता–मल्लू मियां के नाम मांग कायम हुआ। तदनुसार साल–ब–साल सरकारी मालगुजारी रसीद उनके नाम से निर्गत किया जाने लगा। ग्राम–सोनपुरवा के खाता संख्या–40 प्लॉट सं0–163 रकवा 4.50 एकड़ कुर्बान

मिया की रैयती भूमि है एवं कुर्बान [illegible] [illegible] रैयती भूमि उत्तराधिकार स्वरूप उनके वारिसान जो इस वाद [illegible] आवेदक है को प्राप्त हो गया। बुझारत में प्रश्नगत भूमि पर कुर्बान मियां का दखल कब्जा पाया गया। परन्तु जानकारी होने के बाद भी नगर परिषद के पदाधिकारी द्वारा नाजायज रूप से आवेदकगण के शान्तिपूर्ण दखल कब्जा की भूमि पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। दाखिल तथ्य कथन में उन्होंने आवेदकों की रैयती भूमि जो प्लॉट सं0–163 की है, पर प्रस्तावित प्रधानमंत्री शहरी आवास निर्माण योजना को स्थायी रूप से निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है ।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गढ़वा, अंचल अधिकारी, गढ़वा एवं अपर समाहर्त्ता, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन का आवलोकन किया। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसर गढ़वा नगर परिषद में PMAY (U) के अंतर्गत Vertical I एवं III में आवास निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को ग्राम–सोनपुरवा के खाता संख्या–40 प्लॉट सं0–163 का 2.00 एकड़ एवं खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–99 का–2.00 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है, जिसपर श्री संजय कुमार उपाध्याय, Government Civil Contractor को कार्यादेश दिया गया था, जिनके द्वारा कार्यादेश के उपरांत उक्त स्थल पर चाहरदीवारी हेतु फेन्सिंग का कार्य किया जा चुका है। उनके द्वारा प्रतिवेदन में उक्त स्थल पर अजिमूल हक अंसारी के दावा को खारिज कर PMAY(U) के तहत आवास निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन के साथ–साथ अंचल अधिकारी, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि ग्राम–सोनपुरवा, थाना–गढ़वा के खाता संख्या–40 प्लॉट सं0–163 का है जो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की है, जिसका खतियानी रकवा–4.68 एकड़ है। अंचल अधिकारी, गढ़वा के भू–हस्तांतरण वाद संख्या–22/2017–18 से ग्राम–सोनपुरवा के खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 का रकवा 2.00 एकड़ एवं खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–99 का रकवा 2.00 एकड़ सरकारी भूमि का हस्तांतरण सक्षम स्तर से नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत Vertical-I एवं Vertical-III के आवास निर्माण हेतु किया गया है। प्रतिवेदनानुसार हस्तांतरण की प्रक्रिया के दौरान आम इस्तेहार का प्रकाशन अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा दिनांक–21.06.2017 को किया गया था परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त हस्तांतरण के विरूद्ध कोई आपति दर्ज नहीं कराई गई। आवेदकगण द्वारा हल्का कार्यालय के मांग पंजी II के पृष्ठ संख्या–103/1 पर प्रविष्टि की गई विवरणी के आधार पर स्वामित्व का [illegible] किया जा रहा है, जबकि उक्त पृष्ट पर श्री कुर्बान मिया, पिता–मालू मियां के नाम की प्रविष्टि की गई है एवं भूमि

विवरण में मौजा सोनपुरवा का खाता (ओवर राईट) प्लॉट संख्या–901 रकवा 0.14 एक भूमि दर्ज किया गया है एवं पुनः भूमि विवरण मे खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 रकवा 4.05 एकड़ तथा खाता संख्या–158 प्लॉट संख्या–620 रकवा–0.26 एकड़ को जोड़कर कुल योग 4.45 एकड बनाया गया है एवं लगान की मूल राशि 1.00 (एक) रूपये को घेरकर 4.00 (चार) रूपये कर दिया गया है। इस प्रविष्टि को करनेवाला का न तो हस्ताक्षर है और न ही तिथि अंकित है। अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुर्बान मियां के नाम पर मौजा सोनपुरवा के खाता संख्या–85 प्लॉट संख्या–901 रकवा 0.14 एकड़ का मांग चलता था, जिसमें किसी पूर्व के कर्मचारी द्वारा अपनी पहचान को छुपाते हुए छेड़छाड़ किया गया है एवं सरकारी खाते की भूमि खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 रकवा–4.05 एकड़ एवं खाता संख्या–158 प्लॉट संख्या–620 रकवा 0.26 एकड़ जोड़ दिया गया है तथा लगान को भी परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके आधार पर आवेदकों द्वारा सरकारी खाते की भूमि पर स्वामित्व का दावा किया जाना निराधार है। साथ ही अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि पर कभी भी आवेदकगणों या उनके पूर्वजों का दखल कब्जा नहीं रहा है। भूमि वर्षों से परती के रूप में पड़ी हुई थी। इतना ही नहीं अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा भेजा गया अद्यतन प्रतिवेदन में इस आशय का भी जिक किया गया है कि जमाबंदी पंजी के पृष्ट 103 के मांगधारी कुर्बान मिंया के वर्त्तमान वारिसानों द्वारा खाता सख्या 158 प्लॉट संख्या–620 एवं खाता सं0 85 प्लॉट संख्या–901 से संबंधित कोई राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त होल्डींग में लगान 1 (एक) रू0 दर्ज है जो किसी भी दृष्टिोण से 4.45 एकड़ भूमि का लगान नहीं हो सकता है। उक्त भूमि की किस्म टांड III भी है तो रेन्ट 0.50 रूपये प्रति एकड़ की दर से 2.23 रूपये होगा। प्राप्त प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि खाता सं0 158 एवं खाता सख्या 40 की भूमि गैर मजरूआ खाते की है जिसका लगान निर्धारण संबंधी कोई भी कागजात कुर्बान मियां के पक्ष में नहीं पाया गया। होल्डींग 103/1 में अंकित भूमि आधारहीन है एवं पंजी II में छेडछाड़ कर मूल प्रविष्टि को ओवर राईट कर बनाया गया प्रमाणित होता है। उनके द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में पंजी II में गलत तरीके से दर्ज किये गये सरकारी भूमि की प्रविष्टि को विलोपित करने हेतु आदेश के लिए अनुरोध किया गया है।

इसी प्रकार अपर समाहर्त्ता, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर समाहर्त्ता, गढ़वा द्वारा भी अंचल अधिकारी, गढ़वा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदकों का दावा खारिज करने एवं पंजी–II में अवैध तरीके से किये गए सरकारी भूमि की प्रविष्टि को विलोपित करने का आदेश देने हेतु अनुशंसा की गई है।

आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सहायक सरकारी विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुना। तर्क के क्रम में आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौखिक समर्पण किया गया कि प्रश्नगत भूमि जो ग्राम सोनपुरवा थाना गढ़वा के खाता

सं0 40 प्लॉट सं0 163 का है. आवेदकगण को उनके पूर्वज कुर्बान मियां से प्राप्त है। प्रश्नगत प्लॉट सं0 163 का कुल खतियानी रकबा 4.68 एकड़ में से 2.25 एकड़ मौली बीबी जौजे कुर्बान मियां एवं 2.25 एकड़ बतुलन बीबी जौजे अलीम मियां को तत्कालीन जमींदार केदारनाथ सिंह से बंदोबस्ती में प्राप्त है। बाद में बतुलन बीबी द्वारा बंदोबस्ती में प्राप्त भूमि 2.25 एकड़ केवाला सं0 1404 दिनांक– 07.05.1949 से कुर्बान मियां के साथ बिक्री कर दिया गया। तत्पश्चात् जमींदारी उन्मूलन के बाद उक्त भूमि का रिर्टन दाखिल किया गया एवं सरकारी सिरिस्ते में विधिवत कुर्बान मियां के नाम सें मांग कायम होकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत होने लगा। तर्क में आगे उनका कथन है कि प्रश्नगत भूमि आवेदकगण की रैयती भूमि है जिसपर वे खेती करते है ।

राज्य की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क का खंडन करते हुए मौखिक समर्पण किया गया कि प्रश्नगत भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ मालिक है जिसपर आवेदकगण का दावा निराधार है। प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ भूमि है, फलस्वरूप उक्त भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार आवेदकगण का रैयती भूमि नहीं कहा जा सकता है। तर्क में आगे उनका कथन है कि प्रश्नगत भूमि जो गैरमजरूआ मालिक है, का कुर्बान मियां के नाम मांग कायम होने का कोई आधार आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा तर्क के कम में नहीं दिखाया जा रहा है। इस स्थिति में उनका यह कथन कि सरकारी सिरिस्ते में विधिवत मांग कायम किया गया है, उचित नहीं कहा जा सकता है। तर्क में उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि पर आवेदकगण के दावा को खारीज करने हेतु अनुरोध किया गया।

इस प्रकार आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुनने, आवेदकगण की ओर से दिया गया आवेदन एवं न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध दाखिल तथ्य कथन वो कागजातों के साथ–साथ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गढ़वा वो अंचल अधिकारी, गढवा एवं अपर समाहर्त्ता, गढ़वा से प्राप्त जाँच–पतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत Vertical-I एवं Vertical-III के आवास निर्माण से संबंधित भूमि ग्राम–सोनपुरवा थाना, गढ़वा के खाता सं0–40 प्लॉट संख्या–163 रकवा 2.00 एकड़ एवं खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–99 रकवा 2.00 एकड़ है, जिसमें खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 की भूमि आवेदकगण द्वारा अपना रैयती भूमि बताया जा रहा है। अपने दावे के समर्थन में आवेदकगण का कथन है कि ग्राम–सोनपुरवा थाना–गढ़वा के खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 कुल रकवा 4.68 एकड़ है जो गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की है एवं उक्त भूमि में से ही 4.50 एकड़ भूमि उनके पूर्वज कुर्बान मियां को भूतपूर्व जमीन्दार से बंदोबस्ती में प्राप्त है, जिसपर वे दखल कब्जा में है एवं सरकारी सिरिस्ते में लगान अदा करते आ रहे हैं। अपने दावे के समर्थन में उनके द्वारा रिर्टन एवं केवाला संख्या 1404 दिनांक 07.05.1949 का प्रमाणित प्रति, दिनांक 17.09.2019 को ऑन

लाईन निर्गत लगान रसीद, बंदोबस्ती पट्टा एवं मौजा सोनपुरवा के खाता सं0 40 प्लॉ
सं0 163 संबंधी खतियान की छाया प्रति दिया गया है।

आवेदकगण के आवेदन एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा वो अपर समाहर्ता, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 की भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार चूंकि गैरमजरूआ मालिक है, उस स्थिति में आवेदकगण द्वारा मात्र यह कहना कि प्रश्नगत खाता, प्लॉट की भूमि उनके पूर्वज कुर्बान मियां को बंदोबस्ती पट्टा से प्राप्त है एवं बंदोबस्ती के समय से ही मालगुजारी रसीद प्राप्त है, पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। आवेदकगण की ओर से प्रश्नगत भूमि पर अपने दावे की पुष्टि में प्रश्नगत भूमि का सरकारी सिरिस्ते में मांग किस आदेश से कायम हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है और न 1949 से लगातार विगत वर्षों का सरकारी मालगुजारी रसीद ही दिया गया है। मात्र वर्ष 1949 एवं 2019 के दो लगान रसीद है जो नाकाफी है। यहाँ तक कि जमींदारी बंदोबस्ती पट्टा का मूल प्रति भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा सरकारी मालगुजारी रसीद के रूप में मात्र ऑन लाईन दिनांक–17.09.2019 को निर्गत रसीद की छाया प्रति दिया गया है। इस स्थिति में अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जिसकी पुष्टि अपर समाहर्त्ता, गढ़वा द्वारा भी किया गया है, के अनुसार श्री कुर्बान मियां के नाम पर छेड़छाड़ वो ओभर राईट कर सरकारी खाते की भूमि खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 रकवा–4.05 एकड़ एवं खाता संख्या–158 प्लॉट संख्या–620 रकवा 0.26 एकड़ को जोड़ दिया गया है एवं लगान को भी परिवर्तित कर दिया गया है, को नकारा नहीं जा सकता है। चूँकि अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा अपने अद्यतन प्रतिवेदन में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि उक्त होल्डींग में लगान 1 (एक) रूपया दर्ज है जो किसी भी दृष्टिकोण से 4.45 एकड़ भूमि का लगान नहीं हो सकता है। प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि भूमि का किस्म टॉड III भी है तो रेन्ट 0.50 रूपया प्रति एकड़ की दर से 2.23 रूपया होगा । जहाँ तक आवेदकगण का यह कथन कि प्रश्नगत भूमि पर आवास निर्माण की जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई, को उचित नहीं कहा जा सकता। चूंकि अंचल अधिकारी, गढ़वा के प्रतिवेदन से स्वतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर आवास निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रश्नगत भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया के दौरान आम इस्तेहार/सूचना का प्रकाशन दिनांक–21.06.2017 को किया गया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा हस्तांतरण के विरूद्ध कोई आपति नहीं दी गई। आवेदकगण द्वारा आम इस्तेहार में कोई आपति दर्ज नहीं करना इस बात का द्योतक है कि सरकारी भूमि जिस पर लोकहीत में कार्य किया जाना है, को वे नाजायज तरीके से हड़पना चाहते हैं।साथ ही आवेदकगण द्वारा प्रश्नगत भूमि का मांग कायम होने के संबंध में कोई प्रमाणिक साक्ष्य एवं आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ तक कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नगत भूमि का सरकारी सिरिस्ते में किसी भी पुराना सरकारी मालगुजारी रसीद भी प्रस्तुत नहीं

किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कुर्बान मियां के नाम पर प्रश्नगत भूमि का चल रहा मांग कल्पित एवं निराधार है। अभिलेखों एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा से निम्न तथ्य स्पष्ट हुए जिससे प्रश्नगत भूमि पर आवेदक के दावे की पुष्टि नही होती है:–

1.प्लॉट नं0–163 का कुल रकबा 4.68 एकड़ बताया गया है तथा आवेदक द्वारा उसके हिस्से के रकबा 4.50 एकड़ का कोई नक्शा प्रस्तुत नही किया गया जो जमींदार द्वारा जारी हो ।

2. यदि प्लॉट नं0–163 की बंदोबस्ती 4.50 एकड़ थी तो दाखिल रिटर्न (प्रमाणिकता संदेह से परे नही) के पृष्टों में कुल रकबा 4.05 एकड़ कैसे वर्णित है ।

3. प्रस्तुत एक मात्र जमींदारी लगान रसीद में खाता–40 का कोई जिक नही है बल्कि खाता 50 वर्णित है तथा रकबा का जिक नही है ।

4. प्रस्तुत केवाला में विकी किये गये भू–खंड 2.25 एकड़ का लगान 3 रू0 वर्णित है तो पंजी II में कुल 4.35 एकड़ का लगान 1 रू0 कैसे है ।

5. आवेदकगण के द्वारा वर्ष 1949 से 2019 के बीच का कोई लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया ।

6. पंजी II में कुर्बान मियां के होल्डिंग पृष्ठ में मात्र एक लगान रसीद कमांक 196936 (6.12.1974) का जिक है वो भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी ।

7. पंजी II के संबंधित होल्डिंग पृष्ठ के गहन जाँच से स्पष्ट हो रहा है कि खाता एवं प्लॉट उपर से नीचे लिखना था जबकि खाता प्लॉट को बायें से दॉये लिखा गया है साथ ही वर्णित प्लॉटों के लिये प्रयुक्त स्याही के अवलोकन से अलग–अलग लेखनी का प्रयोग स्पष्ट उजागर है ।

8. होल्डिंग पृष्ठ में दर्ज रकबा का आदेश किस पदाधिकारी द्वारा निर्गत था या किस कर्मी द्वारा किस आदेश के तहत् दर्ज किया गया, अंकित नही है ।

9. दाखिल जमींदारी रिटर्न के प्रति में बॉये कॉलम में दर्ज खाता 40 प्लॉट 164 के विरूद्ध प्लॉट 163 का आंशिक रकबा दर्ज करके दिखाया है जिससे समर्पित रिटर्न संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः इसे पूर्ण रूप से मान्य नही किया जा सकता । उसी प्रकार दूसरे हिस्से के रकबा (1 ए0 80 डी0) के लिये जिस केवाला संख्या 1404 का जिक है उस केवाला में रकबा 2 ए0 25 डी0 अंकित है । अतः रिटर्न की प्रमाणिकता सिद्ध नही होती है ।

10. आवेदकगण द्वारा स्वयं से बंदोबस्तीधारियों एवं होल्डिंग रैयत से अपने वंश को दर्शाते हुए वंशावली भी प्रस्तुत नही की गई है । आवेदकगण का कथित बंदोबस्तीधारी के साथ रिश्ता स्पष्ट नही किया है न ही प्लॉट में किसका कितना हिस्सा है वह भी स्पष्ट नही किया है

इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि वाद से संबंधित प्रश्नगत भूमि जो ग्राम–सोनपुरदा थाना गढ़वा के खाता संख्या–40 प्लॉट

06/06/2

संख्या-163 से संबंधित है, पर आवेदकगण का दा[illegible] बिल्कुल ही निराधार एवं [illegible] है। फलतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रश्नगत भूमि जो ग्राम सोनपुरवा थाना गढ़वा के खाता सं0 40 प्लॉट संख्या 163 से संबंधित है, पर आवेदकगण के दावा को खारिज किया जाता हैं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी न्यायादेश दिनांक 02.12.2019 में दर्ज है कि " Till the respondent no-2 passes the order,status – quo as existing today shall be maintained over Plot No- 163 under khata No-40 of village Sonpurwa ,District-Garhwa "

उपरोक्त न्याय निर्देश के आलोक में इस न्यायालय की आदेश की प्रति अंचल अधिकारी,गढ़वा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद,गढ़वा एवं संवेदक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित करें ।

लेखापित एवं संशोधित

06/06/20

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा

06/06/20

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा

ज्ञापांक - 264 // दिनांक - 9.6.20

प्रति० - अंचल अधिकारी, गढ़वा / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गढ़वा एवं संवेदक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

09/06/20

प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा, गढ़वा.

कार्यपालक पदा० नगर परिषद, गढ़वा 264 / 9.6.20